Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर नगर निगम ग्रेटर का स्वास्थ्य निरीक्षक 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *16 सितम्बर,* शुक्रवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसआईडब्ल्यू इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये प्रहलाद टोपिया स्वास्थ्य निरीक्षक, वार्ड नं0 46, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एसआईडब्ल्यू इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पूर्व में अनुपस्थित रहने के उपरान्त उपस्थिति दिखाकर पूरे माह का वेतन बनाने एवं इस माह की अनुपस्थिति पर नोटिस दिलवाकर उक्त नोटिस पर हुई कार्यवाही को सर्विस बुक में इन्द्राज नहीं करने की एवज में प्रहलाद टोपिया स्वास्थ्य निरीक्षक, वार्ड नं0 46, नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरविजन में एसीबी की एसआईडब्ल्यू इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ललित शर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री चित्रगुप्त एवं पुलिस निरीक्षक श्रीमती मीना वर्मा** द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रहलाद टोपिया पुत्र श्री शंभुलाल निवासी खोड़ापाड़ा, तहसील लालसोट, जिला दौसा हाल स्वास्थ्य निरीक्षक, वार्ड नं0 46, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।